

## भाग-5

(इस वन प्रभाग के प्रभारी सचिव अथवा राज्य सरकार के किसी अन्य प्राधिकरण अधिकारी को अवर सचिव के पद के नीचे का अधिकारी न हो द्वारा भरा जाना है )

जनपद मैनपुरी के अन्तर्गत शिकोहाबाद-भोगाँव मार्ग (एस0एच0-84) की बांयी पटरी पर किमी0 51 से 52 के मध्य (चैनेज 51.950) ग्राम संसारपुर के गाटा सं0-1149/2व 1150 मि0 पर इंडियन ऑयल कार्पोरेशन लि0 आगरा द्वारा प्रस्तावित नवीन रिटेल आउटलेट के सम्पर्क मार्ग के निर्माण हेतु 0.052278 हे0 संरक्षित वनभूमि का बिना वृक्ष पातन के गैर वानिकी प्रयोग की अनुमति के सम्बन्ध में। (प्रस्ताव सं0 एफपी/यूपी/अदर्स/41601/2019)

Proposalसंख्या-FP/UP/others/416012019

राज्य सरकार की सिफारिशें-वन अनुभाग-2 के शासनादेश संख्या-पी 10 / 81-2-2020-800( 14 )/2020, दिनांक 13-02-2020 के द्वारा प्रस्ताव पर मुख्य वन संरक्षक/नोडल अधिकारी की संस्तुति के आधार पर संस्तुत।

(उपर्युक्त भाग-ख या भाग-ग या भाग-घ में से किसी अधिकारी या प्राधिकारी द्वारा की गयी प्रतिकूल टिप्पणियों पर विशिष्ट टिप्पणी की जाये।)

दिनांक :-

13-02-2020

हस्ताक्षर

(**जीव जर्ज**)  
(**अवर सचिव**)  
पर्यावरण और पदमापन  
सरकारी विभाग  
उत्तर प्रदेश शासन